



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082022-238158  
CG-DL-E-18082022-238158

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3667]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 2022/श्रावण 25, 1944

No. 3667]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 2022/SHRAVANA 25, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2022

का.आ. 3840(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पुँछ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 144ए के कि.मी. 162+800 से 198+250 कि.मी. तक अखनूर से पुँछ रोड का निर्माण (चैडीकरण/दो लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डिप्टी कमिश्नर भूमि अधिग्रहण अधिकारी- पुँछ, आफिस-पुँछ, जिला-पुँछ को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

जम्मू एण्ड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिले पूँछ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 144ए के कि.मी. 162+800 से 198+250 कि. मी. (अखनूर से पूँछ रोड़ सेक्शन-8) के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर		जिले का नाम: पूँछ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सुरनकोट					
गांव का नाम: सनेई					
1	403	अन्य	चरनोई	0.1050000(हेक्टेयर)	0.1050000
2	413	सरकारी	सिंचित	0.1775000(हेक्टेयर)	0.1775000
3	414	सरकारी	नदी	0.0675000(हेक्टेयर)	0.0675000
4	415	निजी	सिंचित	0.1350000(हेक्टेयर)	0.1350000
5	418	निजी	सिंचित	0.0550000(हेक्टेयर)	0.0550000
6	419	निजी	सिंचित	0.0450000(हेक्टेयर)	0.0450000
7	420	निजी	सिंचित	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
गांव का नाम: धुन्धक					
1	185	निजी	असिंचित	0.0175000(हेक्टेयर)	0.0175000
<b>कुल</b>				<b>0.6125</b>	<b>0.6125</b>

[फा. सं. 8/3A1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2022

**S.O. 3840(E).**— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)(hereafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2-Laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of the National Highway No.144A in the stretch of land from Km. 162+800 to 198+250 Km. Akhnoor to Poonch Road in the District- Poonch in the Union Territory of Jammu & Kashmir, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3 C of the said act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Deputy Commissioner Land Acquisition Poonch, Poonch District Poonch**, in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 C of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 162+800 to Km. 198+250 (Akhnoor to Poonch Road Section - 8) Road of the National Highway No. 144A in the Union Territory of Jammu & Kashmir.**

State: JAMMU & KASHMIR		District: POONCH			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
<b>Taluk: Surankote</b>					
<b>Village: Snai</b>					
1	403	Common	Charnoi	0.1050000(Hectare )	0.1050000
2	413	Government	irrigated	0.1775000(Hectare )	0.1775000
3	414	Government	River	0.0675000(Hectare )	0.0675000
4	415	Private	irrigated	0.1350000(Hectare )	0.1350000
5	418	Private	irrigated	0.0550000(Hectare )	0.0550000
6	419	Private	irrigated	0.0450000(Hectare )	0.0450000
7	420	Private	irrigated	0.0100000(Hectare )	0.0100000
<b>Village: Dhundak</b>					
1	185	Private	Non-irrigated	0.0175000(Hectare )	0.0175000
<b>Total</b>				<b>0.6125</b>	<b>0.6125</b>

[F. No. 8/3A1]

RAJESH GUPTA, Director